संख्या-40/2025/20VIP/41-**2**-2025-CN- 1893810

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 05 फरवरी, 2025**

विषयः-स्कीम फार स्पेशियल असिस्टेन्ट टु स्टेट्स योजना के अन्तर्गत एन0सी0आर0 बोर्ड द्वारा चयनित गढ़मुक्तेश्वर में साइनेज स्थापना सम्बन्धी योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निदेशक पर्यटन, मेरठ/सहारनपुर मण्डल, मेरठ के पत्र संख्या-832/एन0सी0आर0/योजनाएं/2025, दिनांक 25.01.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव दिनांक 16.01.2024 के क्रम में कन्स्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज (सी0एण्ड डी0एस0), उ0प्र0 जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए पर्यटन अनुभाग अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-30/2024/171/001-41-2-2024-01-बजट-2024, दिनांक 07.02.2024 के माध्यम से धनराशि रू0 396.03 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 150.00 लाख (रू0 एक करोड़ पचास लाख मात्र) अवमुक्त की गयी थी।

3- प्रकरण में नामित कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 यूनिट 31 द्वारा अभी तक प्रश्नगत योजना का कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने के कारण 31 मार्च तक योजना के पूर्ण हो पाने में संशय होने के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में नामित कार्यदायी संस्था कन्स्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज (सी0एण्ड डी0एस0), उत्तर प्रदेश जल निगम के स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजना पर अवमुक्त धनराशि रू0 150.00 लाख (रू0 एक करोड़ पचास लाख मात्र) को वर्तमान में नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम (यू0पी0एस0टी0डी0सी0) के पक्ष में स्थानान्तरित करने एवं अवमुक्त धनराशि रू0 150.00 लाख (रू0 एक करोड़ पचास लाख मात्र) पर अब तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराने एवं शासन को तद्नुसार अवगत कराये जाने तथा वर्तमान में नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम (यू0पी0एस0टी0डी0सी0) से सहमति पत्र सहित आगणन उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम (यू0पी0एस0टी0डी0सी0) को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ''http://shasanadesh.up.gov.in" से सत्यापित की जा सकती है । j

5. जिलाधिकारी, हापुड़।
6. प्रबन्ध निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज (सी0एण्ड डी0एस0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. संयुक्त निदेशक पर्यटन, मेरठ/सहारनपुर मण्डल, मेरठ।
10. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ''http://shasanadesh.up.gov.in" से सत्यापित की जा सकती है । j